न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./174/2012/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
श्रीमती गेहरोंदेवी पुत्री राणाजी धर्मपत्नी गुणेशाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी जूण्ड हाल साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. सोनी वेवा भारूजी विलोपित 2. रूपोदेवी पत्नी नारायणराम 3. राणाराम पुत्र नारायणराम 4. आईदानराम पुत्र नारायणराम 5. गंगाराम पुत्र नारायणराम 6. वेहनाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी साजियाली रूपजी राजावेरी तहसील पचपदरा जिला वाड़मेर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 203/2001 बअनवान गेहरोदेवी बनाम सोनी वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री 24.01.2012 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पुनमाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 67, 288, 298, 293 रकबा क्रमशः 16.10 बीघा, 43.17 बीघा, 165.08 बीघा, 01.12 बीघा की भूमि में 1/2 हिस्सा भारू का तथा 1/2 हिस्सा लाला पुत्र उमा का व 1/2 हिस्सा राणा गोदपुत्र भारू की खातेदारी में दर्ज किया गया। संवत 2016 से 2019 की खतौनी के अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि लाला पुत्र उमा का व चतरा पुत्र भारू के निष्फ हिस्से की खातेदारी में दर्ज की। चतरा के ला औलाद फौत होने से उक्त वक्त चतरा की माता व भारू की बेवा मुस्मात सोनी जिन्दा थी तो भारू के राणा को गोद ले लिया। वादिनी राणा की जायन्दा पुत्री है, राणा के कोई लड़का नहीं था। मुस्मात गेहरों उक्त वक्त नाबालिग थी। राणा गोद के 2–3 साल बाद फोत हो गया। राणा के बफौत के पश्चात दफा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व हिन्दु उतराधिकार अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

की प्रथम शैड्यूल के अनुसार राणा की माता रोनी के साथ–साथ उसकी जायन्दा पुत्री वादीनी दोनों ही वारिस हुई एवं दोनों के नाम नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था। वादिनी अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादिनी को अभी पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व व रिश्तेदार प्रतिवादीनी संख्या 01 से गिलकर वादिनी से पोशिदा भूमि का बेचान करना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 90 साल की वृद्ध वेवा औरत है। वादिनी को उक्त तथ्य का पता चला तो वादिनी का नाम राणा के वारिस के तौर पर रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अकेली प्रतिवादीनी संख्या 01 का नाम दर्ज है उक्त गलत रेकर्ड के आधार पर वादीनी के हिस्से को शामिल करते वादिनी से पोशिदा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने दावे के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्से का कागजी व नुमाईशी बेचाननामा दिनांक 04.09.2001 को करवा कर पंजीयन करवा दिया। वादिनी को उक्त बेचाननामे का ज्ञान हुआ तो वादिनी ने दिनांक 03.11.2001 को अपने वकील के मार्फत प्रतिवादिनी संख्या 1 व अन्य को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस दिया। प्रतिवादीनी संख्या 1 द्वारा गलत व अवैध तौर से वादिनी के 1/4 हिस्से को शामिल कर दावा के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ला 5 को बेचान कर देने से वादिनी को अपने हको की सुरक्षा हेतु अधिकार घोषणा दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादिनी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 खतौनी संवत 2016 से 2051 प्रस्तुत की है, जिसमें संवत 2028 से 2031 में जमाबंदी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि लाला वल्द उमा, राणा खोले भारू कौम सादेह खातेदार। इस खतौनी के अवलोकन से यह बात साबित है कि राणा भारू का गोदपुत्र था तथा इस विवादित भूमि का पर्चा लगान भारू के पुत्र चुतरा के नाम से किया था, परन्तु चुतरा लाऔलाद फोत हो जाने से इस वंश को आगे चलाने के लिये सोनी ने राणा को गोद लिया था और चुतरा के फोत होने पर इस भूमि का नामान्तकरण चुतरा से राणा के नाम भारू का वारिस मानते हुये किया गया है। इतना ही नहीं राणा के फोत होने पर प्रतिवादीगण सोनी को उसकी माता मानकर उक्त भूमि सोनी के नाम से दर्ज की गई। उक्त दोनों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इन्द्राज जो राजस्व अभिलेख में आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व किये गये थे तथा उन इन्द्राजों को किसी स्तर पर न तो सोनी प्रतिवादिनी ने चुनौती दी थी और न ही अन्य किसी द्वारा इस पर कोई एतराज किया गया था। इसके बावजूद राणा के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि में अर्थात उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा विशना का तथा 1/2 हिस्सा राणा का, जिसमें सोनी व गेहरों अर्थात प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था, जो राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज नहीं करने से यह प्रविष्टि चलती रही। अपीलांट एक अनपढ एवं ग्रामीण महिला है तथा अपने पिता के फोत होने पर यही समझती रही कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सोनी के साथ दर्ज कर दिया होगा, क्योंकि सोनी ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलांट को इस खेत में काश्त करने से या अन्य किसी तरह से नहीं रोका–टोका इसलिये अपीलांट अपने हिस्से की भूमि बदस्तूर काबिज होकर काश्त करती रहीं। अकेली प्रतिवादीनी संख्या 01 का नाम दर्ज है उक्त गलत रेकर्ड के आधार पर वादीनी के हिस्से को शामिल करते वादिनी से पोशिदा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने दावे के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्से का कागजी व नुमाईशी बेचाननामा दिनांक 04.09.2001 को करवा कर पंजीयन करवा दिया। वादिनी को उक्त बेचाननामे का ज्ञान हुआ तो वादिनी ने दिनांक 03.11.2001 को अपने वकील के मार्फत प्रतिवादिनी संख्या 1 व अन्य को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस दिया। प्रतिवादीनी संख्या 1 द्वारा गलत व अवैध तौर से वादिनी के 1/4 हिस्से को शामिल कर दावा के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ला 5 को बेचान कर देने से वादिनी को अपने हको की सुरक्षा हेतु अधिकार घोषणा दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को इस वाद में तनकी संख्या 01 निर्णित करते समय मात्र यह तथ्य देखना था कि वादिनी राणा की पुत्री है या नहीं? राणा, भारू का गोदपुत्र था या नहीं था? यह तथ्य इस दावे में निर्णित नहीं करना था, परन्तु बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अपने निर्णय में यह तथ्य साबित करने का प्रयास किया है कि राणा, भारू का गोदपुत्र था या नहीं और अन्तत भारू का गोदपुत्र न मानकर अपने अधिकारों से बाहर जाकर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। तनकी संख्या 02 व 03 अपीलांट अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णरूप से सफल रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि गेरो के पिता राणा को प्रतिवादीनी सोनी के पति भारू ने कभी गोद नही लिया न ही न्याति रिवाज से गोद लेने की कोई रस्म अदा की न ही राणा कभी भारू के साथ रहा। सोनी ने राणा को गोद नहीं लिया। अपीलाधीन आराजी का सोनी ने अपने जीवनकाल में वेचान किये जिसे करने की विधिक रूप से अधिकारी थी। वर्तमान में जमिनों की कीमते वढने के पश्चात लालच में आकर झुठा एवं मनगढंत दावा पेश किया गया। रजिस्टर्ड वेचान को राजस्व न्यायालय में विचारागत नहीं किया जा सकता। वादीनी को अपीलाधीन आराजी पर कोई हक नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को सव्यय खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2018(1) Page 172
RRT 2012(2) Page 1412
RRT 2003(1) Page 216
RRT 2001(2) Page 1222
RRD 1996 Page 469
RRD 1985 Page 99

धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांट को अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.04.2012 को जरिये दूरभाष के दिया गया। जिस पर अपीलांट दिनांक 25.04.2012 को बालोतरा जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, जिस पर अधिवक्ता ने दिनांक 26.04.2012 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकले न्यायालय से मांगी और उक्त निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 27.4. 2012 को प्राप्त हुई। जिस पर अपीलांट ने बाड़मेर आकर अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर यह अपील सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तथा वास्तविक जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत अपील को

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

तकनीकि बिन्दु के आधार पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अन्दर शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि राणा के गोद जाने का कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है राणा संवत 2024–31 के मध्य फौत हुआ। राणा की फौतगी के लगभग 25 साल पश्चात दावा लाया गया है। गेरो के पिता राणा को प्रतिवादीनी सोनी के पति भारू ने कभी गोद गये हो ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया। सोनी ने राणा को गोद नहीं लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। सोनी अपीलाधीन आराजी की रेकर्ड खातेदार थी जिसमें अपने हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचान प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के हक में बेचान किया गया है जो सक्षम सिविल द्वारा मन्सुख नहीं किया जाने से बेचान शून्य व बेअवसर नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में 04 तनकीयात कायम की गई, जिसमें बाद सुनवाई अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित की गई। वादीनी के विरूद्ध निर्णित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 203/2001 बअनवान गेहरोदेवी बनाम सोनी वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री 24.01.2012 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पालीवाल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर